Sl. No.	Date of order of proceeding	order with signature of the court	Office Action Taken with Date
1	2	3	4
	05-07-2018		

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–21/2017

भरत यादव बनाम जीवलाल यादव
एवं
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–27/2017
अंचलाधिकारी, झाझा बनाम जीवलाल यादव–विपक्षी प्रथम पक्ष
विशु यादव– विपक्षी द्वितीय पक्ष

आदेश

भरत यादव पिता स्व0 धनु गोप, ग्राम छापा पोस्ट छापा, थाना वो अंचल–झाझा के द्वारा जमाबंदी संख्या 454, 456, 457 तथा 356 एवं 357 को रद्द करने के उद्देश्य से लाया गया है।

आवेदक के अनुसार जमाबन्दी में निहित भूमि का विवरण निम्नवत् है :–

अंचल का नाम	मौजा/ थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)	जमाबंदी सं0	जमाबंदी रैयत
1	2	3	4	5	6	7
झाझा	हरन्जा थाना 345	49	514	2.66	454	जीवलाल यादव वो सरयुग यादव पे0 जोगी यादव
			493	00		
		49	514	2.67	456	मुन्नी यादव वो गुरूहम यादव वो मोहन यादव पे0 प्रसादी यादव वो गनेश यादव वो जागो यादव पे0 बहादुर यादव
		49	514	2.67	457	हेमन यादव पे0 रामो यादव सा0–छापा
		48	493	1.77	356	बढ़नवा देवी जौजे जोंगी यादव
		48	493	0.89	357	बतसवा देवी जौजे मदन यादव

समीक्षोंपरान्त 'वाद' को अंगीकृत किया गया। दिनांक 02.06.2018 को आवेदक भरत यादव द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई के आदेश से अंचलाधिकारी, झाझा के द्वारा भी जमाबंदी संख्या 454, 456 एवं 457 को रद्द करने के लिये जमाबंदी रद्दीकरण का वाद संख्या 27/17 लाया गया है। उक्त वाद में विपक्षी प्रथम पक्ष जीवलाल यादव तथा विपक्षी द्वितीय पक्ष विशु यादव है। दोनो वादो में एक ही जमाबंदी, एक ही खाता एवं खेसरा की भूमि सम्मलित है। तदनुसार जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 21/2017 एवं 27/2017 को एक साथ जोड़ वाद को सुना गया।

A Home Jud

आवेदक का कहना है कि उनके पिता धन्नु गोप पे0 वैजू गोप ने दिनांक 11.02.1921 को सादा हुकुमनामा से खाता संख्या 49, खेसरा 514, रकबा 9 एकड़ भूमि भूतपूर्व जमींदार से बन्दोवस्ती में प्राप्त किए। वन्दोवस्ती तिथि से वे लगान देते आ रहे है तो उनके कब्जे में जोत आबाद में है। बन्दोवस्ती के पश्चात् जमाबंदी संख्या 51 सृजित हुई। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् रिटर्न में भी जमाबंदी संख्या 51 दाखिल किया गया। जमींदारी उन्मूलन पूर्व से तथा जमाबंदी उन्मूलन के पश्चात् आज तक जमाबंदी संख्या 51 कायम है। वर्ष 2016–17 तक मेरे द्वारा लगान भी जमा किया गया है।

विपक्षी के पूर्वज रूपन गोप पे0 झगरू गोप की जमाबंदी संख्या 68 मात्र 8 एकड़ की पूर्व से चल रही थी, जिसका खाता संख्या 48, खेसरा संख्या 493 था।

आवेदक का कहना है कि विपक्षी ने उनके जमीन को हड़पने के ख्याल से कर्मचारी को मेल में लाकर जमाबंदी संख्या 68 में पूर्व से दर्ज खाता संख्या 48 एवं खेसरा संख्या 493 को छेड–छाड़ किया है। खाता संख्या 48 को काटकर 49 एवं खेसरा संख्या 493 को काटकर 514 नियम विरूद्ध कार्य किया है।

अंचलाधिकारी के द्वारा पूर्व में भी विपक्षी से खाता संख्या 49 एवं खेसरा संख्या 514 के भूमि के संबंध में अपना दावा संबंधी दस्तावेज पेश करने को कहा गया था। उक्त नोटिस के विरूद्ध विपक्षीगण के द्वारा वर्ष 1934 में भूतपूर्व जमींदार से वन्दोवस्ती प्राप्त होने के साक्ष्य के रूप में 1934 में प्राप्त खतियान स्लीप रकबा 8.34 एकड़ की छाया प्रति दाखिल किया है। साक्ष्य के रूप में अंचलाधिकारी, झाझा का पत्रांक 719 दिनांक 04.12.2017 की प्रति दाखिल की गयी है।

आवेदक का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा उसी चौहदी के खाता खेसरा रकबा पर दावा के साक्ष्य के रूप में इस न्यायालय में खतियान स्लीप निर्गत " राज रियासत गिद्धौर " दिनांक 23.07.1927 को दाखिल किया है। आवेदन का कथन है कि एक ही भूमि का दो बार अलग अलग वर्षो में खतियान स्लीप निर्गत होना दोनो कागजातो को संदिग्ध एवं फर्जी प्रमाणित करता है।

आवेदक का कथन है कि उनकी बन्दोवस्ती तथा जमाबंदी वर्ष 1921 की है। जमींदार द्वारा विपक्षी को तब ही भूमि बन्दोवस्त की जा सकती है, जब आवेदक के पूर्वज उक्त भूमि का परित्याग किए हो या जमींदार द्वारा लगान नहीं देने की स्थिति में नीलाम किया गया हो। मगर विपक्षी के द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया कि आवेदक के दखल कब्जे में तथा वर्ष 1921 में बन्दोवस्त भूमि का जमींदार द्वारा कब वापस प्राप्त की गई या नीलाम की गई।

आवेदक का कथन है कि उनकी जमाबंदी संख्या 51 वर्ष 1921 से चल रही है तो ऐसी परिस्थिति में उसी खाता खेसरा एवं चौहदी की भूमि का पुनः 1934 में विपक्षी के द्वारा बन्दोवस्ती भूमि को प्राप्त करने का दावा का कोई औचित्य नहीं है। अंचल अधिकारी के समक्ष 1927 का खतियान स्लिप एवं इस न्यायालय के समक्ष 1934 का खतियान स्लिप पेश किया जाना उनके दावा को और संदिग्ध बना देता है।

आवेदक का यह भी कहना है कि जबतक उनके बन्दोवस्ती के भूमि को उनके द्वारा समर्पित नहीं किया जाय या जमींदार के द्वारा नीलामी की प्रकिया से वापस प्राप्त नहीं कर लिया जाय, तबतक 1921 में उनके पक्ष में बन्दोवस्त भूमि को विपक्षी को बन्दोवस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। विपक्षी द्वारा खाता संख्या 49, खेसरा संख्या 514 की प्रश्नगत चौहदी की भूमि के संबंध में दाखिल खतियान स्लीप/बन्दोवस्ती पर्चा फर्जी है। विपक्षी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया है कि आवेदक के भूमि को कभी भी जमींदार द्वारा नीलाम किया गया हो या आवेदक ने प्रश्नगत भूमि को प्रत्यार्पण (Surrender) किया हो। आवेदक का

A Home Jud

यह भी कहना है कि उनके बन्दोवस्त भूमि की जमाबंदी संख्या 51 है जो वर्ष 1921 से ही चल रही है। इसमें खाता संख्या 49 एवं खेसरा संख्या 514 दर्ज है। विपक्षी ने राजस्व कर्मचारी को मेल में लाकर अपनी जमाबंदी संख्या 68 में पूर्व से दर्ज खाता संख्या 48 एवं खेसरा संख्या 493 को काटकर खाता संख्या 49 एवं खेसरा संख्या 514 क्रमशः बना दिया है। अंचलाधिकारी, झाझा ने अपने पत्रांक 390 दिनांक 26.04.18 में भी प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदी संख्या 51 धन्नु गोप पे0 बैजू गोप के नाम से दर्ज है तथा वर्ष 1965 से 2016–17 तक लगान रसीद निर्गत है। अंचलाधिकारी, झाझा ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी के पूर्वज के नाम रूपन गोप पे0 झगरू गोप के नाम कायम जमाबंदी संख्या 68 से संबधित पुराने पंजी–2 एवं नये पंजी–2 का अवलोकन किया गया। पुराने एवं नये पंजी–2 में भी खाता संख्या 48 एवं खेसरा संख्या 493 दर्ज था। इसे काटकर खाता संख्या 49 एवं खेसरा संख्या 514 बनाया गया है। साक्ष्य के रूप में आवेदक द्वारा जमाबंदी संख्या 68 से संबंधित पंजी–2 की अभिप्रमाणित प्रति इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। पंजी–2 के अभिप्रमाणित पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिप्रमाणित प्रति प्राप्ति की तिथि को जमाबंदी संख्या 68 में खाता संख्या 48 एवं खेसरा संख्या 493 दर्ज था। यह तथ्य अंचलाधिकारी, झाझा के प्रतिवेदन को भी सम्पुष्ट करता है कि अभिलेख में तत्कालीन राजस्व कर्मचारी द्वारा छेड़ छाड़ की गयी है।

अंचलाधिकारी, झाझा ने अपने प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया है कि वाद संख्या 95/1987–88 तथा 96/1987–88 के द्वारा दो नये जमाबंदी 356 एवं 357 कायम हुआ। जमाबंदी संख्या 356 रकबा 1.77 एकड़ बरहनवा देवी जौजे जोंगी यादव एवं जमाबंदी संख्या 357 रकबा 0.89 एकड़ बतासवा देवी जौजे मदन यादव के नाम से कायम हुआ। उक्त दोनो जमाबंदी से संबधित पंजी–2 की अभिप्रमाणित प्रति आवेदक द्वारा इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। अभिप्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद संख्या 95/1987–88 एवं 96/1987–88 के द्वारा जमाबंदी संख्या 68 से खाता संख्या 48 एवं खेसरा संख्या 493 ही खारिज हुआ है तथा तद्नुसार जमाबंदी संख्या 356, 357 में खाता संख्या 48 एवं खेसरा संख्या 493 की ही रकबा दाखिल की गयी है। अंचलाधिकारी ने यह प्रतिवेदित किया है कि साक्ष्य को मिटाने के ख्याल से राजस्व कर्मचारी द्वारा जमाबंदी संख्या 356 एवं 357 के पन्ना को फाड़ कर हटा दिया गया है।

आवेदक का यह भी कहना है कि राजस्व कर्मचारी ने विपक्षी के मेल में आकर जमाबंदी बटवारा वाद संख्या 7/2006–07 दिनांक 13.09.2006 के द्वारा जमाबंदी संख्या 356 से 1.77 एकड़ एवं जमाबंदी संख्या 357 से 0.89 एकड़ कुल रकबा 2.66 एकड़ खारिज करते हुए जमाबंदी संख्या 454 का सृजन किया। इस प्रकार जमाबदी संख्या 356 एवं 357 में रकबा शून्य शेष रह गया तथा समस्त रकबा को जमाबंदी संख्या 454 पर स्थानान्तरित किया गया। आवेदक का कहना है कि जब जमाबंदी संख्या 356 एवं 357 में खाता संख्या 48 एवं खेसरा संख्या 493 दर्ज था तो जमाबंदी संख्या 454 में भी इसी खाता खेसरा की भूमि दाखिल की जानी थी। मगर राजस्व कर्मचारी ने विपक्षी के मेल में आकर के जमाबंदी संख्या 356 एवं 357 पर अभिलेख में छोड़ छाड़ करते हुए खाता संख्या 48 को काटकर 49 एवं खेसरा संख्या 493 को काटकर 514 बनाया और तत्पश्चात् नये जमाबंदी 454 में खाता संख्या 49 एवं खेसरा संख्या 514 दर्ज किया। आवेदक ने अपने कथन की पुष्टि के संदर्भ में जमाबंदी संख्या 356 एवं 357 की अंचल से प्राप्त की गयी अभिप्रमाणित प्रति दाखिल किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने की तिथि को जमाबंदी संख्या 356 एवं 357 पर खाता 48 एवं खेसरा 493 ही दर्ज था।

अंचलाधिकारी ने अपने पत्रांक 390 दिनांक 26.04.2018 में यह भी प्रतिवेदित

A Home Jud

किया है कि जमाबंदी संख्या 456 वर्तमान में मुन्नी यादव, गुरूमहा यादव वो मोहन यादव पे0 प्रसादी यादव वो गनेश यादव वो जागो यादव पे0 बहादुर यादव सा0 छापा कुल रकबा 2.67 एकड़ के नाम से दर्ज है। जमाबंदी संख्या 457 हेमन यादव पे0 स्व0 राणो यादव के नाम से दर्ज है, जिसमें खाता संख्या 49 एवं खेसरा संख्या 514 रकबा 2.67 एकड़ भूमि दर्ज है।

अंचलाधिकारी का यह कहना है कि आपसी जमाबंदी बंटवारा वाद संख्या 155/2006–07 दिनांक 26.10.2006 के द्वारा ये दोनो जमाबंदी का सृजन जमाबंदी संख्या 68 कुल रकबा 5.34 एकड़ को खारिज कर किंया गया है। जमाबंदी संख्या 68 का रकबा अब शून्य है।

आवेदक का कहना है कि जमाबंदी संख्या 68 में खाता संख्या 48 एवं खेसरा संख्या 493 कुल रकबा 8 एकड़ था। उक्त 8 एकड़ में से 2.66 एकड़ भूमि पूर्व में ही जमाबंदी संख्या 356, 357 एवं तद्नुसार जमाबंदी संख्या 454 में स्थानान्तरित हो गया था। शेष रकबा 5.34 एकड़ भूमि जमाबंदी संख्या 68 में शेष था जो बंटवारा वाद संख्या 155/2006–07 के माध्यम से जमाबंदी संख्या 456 (2.67 एकड़) एवं 457 (2.67 एकड़) में स्थानान्तरित हुआ।

आवेदक का यह भी कहना है कि जब मूल जमाबंदी 68 में खाता संख्या 48 तथा खेसरा 493 दर्ज है तथा उक्त जमाबंदी में कोई दूसरे खाता खेसरा की भूमि दर्ज नहीं है तो जमाबंदी संख्या 68 से जो भी रकबा खारिज होनी चाहिए वो खाता 48 तथा खेसरा 493 से ही अपेक्षित है। ऐसी परिस्थिति में बंटवारा वाद संख्या 155/2006–07 से जमाबंदी संख्या 456 एवं 457 में खाता संख्या 49 एवं खेसरा संख्या 514 को दर्ज किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

उसी तरह वाद संख्या 95/1987–88 तथा 96/1987–88 के द्वारा जमाबंदी संख्या 356 एवं 357 क्रमशः एवं तद्नुसार जमाबंदी संख्या 454 पर खाता संख्या 49 एवं खेसरा संख्या 514 की भूमि को स्थानान्तरित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

उक्त तथ्यो के आलोक में आवेदक का कहना है कि जमाबंदी संख्या 356, 357, 454, 456 एवं 457 को विलोपित किया जाय।

आवेदक के कथनो के दावे के विरूद्ध विपक्षी का कथन है कि भूतपूर्व राजा गिद्धौर के द्वारा वर्ष 1927 में उनके पूर्वज रूपन गोप पे0 झगरू गोप के नाम से खाता नं0 49 एवं खेसरा संख्या 514 रकबा 8.00 एकड़ भूमि की बन्दोवस्ती करके खतियानी स्लीप एवं लगान रसीद निर्गत किया गया तथा उक्त बन्दोवस्ती के आधार पर जमाबंदी संख्या 68 कायम हुआ। तत् समय से उक्त एराजी पर रूपन गोप तथा उनके वंशज का दखल कब्जा है तथा उक्त दखल कब्जा पर आजतक किसी व्यक्ति ने दावा नहीं किया है।

विपक्षी का यह भी दावा है कि जमाबंदी संख्या 68 से आपसी बंटवारा के तहत् 2.66 एकड़ भूमि जीवलाल यादव वो सरयुग यादव को प्राप्त हुआ जिसकी जमाबंदी संख्या 454 है तथा शेष रकबा की जमाबंदी आपसी बंटवारा वाद 155/2006–07 से जमाबंदी संख्या 456 का सृजन मुन्नी यादव वो गुरूमाहा यादव वो मोहन यादव पिता प्रसादी यादव वो गनेश यादव वो जागो यादव के नाम से कुल रकबा 2.67 एकड़ कायम हुआ तथा बाकी बचे शेष रकबा 2.67 एकड़ का जमाबंदी संख्या 457 हेमन यादव पे0 राणो यादव के नाम से कायम हुआ और तब से रसीद निर्गत हो रहा है। इस संदर्भ में साक्ष्य के रूप में बिहार सरकार के द्वारा 2011–12 में पंजी–2 की कम्प्युटराईजेशन की प्रति की छाया प्रति दाखिल किया गया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 2011–12 में जमाबंदी संख्या 456 एवं 457 में खाता संख्या 49 एवं खेसरा संख्या 514 दर्ज है। जमाबंदी संख्या 454 के संदर्भ में भी इसी आशय का कम्प्युटरीकृत प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें खाता 49 एवं खेसरा संख्या 514 दर्ज है। उक्त तथ्यो के आलोक में विपक्षी द्वारा आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

A Home Jud

विपक्षी का यह भी कहना है कि आवेदक के चचेरे भाई अयोधी यादव के साथ ग्राम कचहरी छापा में मुकदमा संख्या 23/2008 चला था। उक्त वाद में विपक्षी के दावा को सत्य पाया गया। आवेदक को मुकदमा की जानकारी थी। मगर आवेदक उक्त आदेश के विरूद्ध कहीं भी अपील में नहीं गए।

विपक्षी के अनुसार जमाबंदी संख्या 51 में भूमि का विवरण दर्ज नहीं है। विपक्षी का दावा है कि जमाबंदी संख्या 68 में खाता संख्या 49 खेसरा संख्या 514 दर्ज था। तत्पश्चात् बंटवारा वाद संख्या 155/2006–07 से जमाबंदी संख्या 456 एवं 457 विधिवत् बना है। अतएव खारित होने योग्य नहीं है।

विपक्षी का दावा है कि आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में जिस जमीन का व्यौरा दिया है, उसके पश्चिमी चौहदी में खेसरा संख्या 493 दर्शाया है, जो उनके पूर्वज खगिया देवी के नाम बन्दोवस्त है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई के परिवाद संख्या 437110216091700220 दिनांक 18.09.2017 के आलोक में दायर जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 27/2017 अंचलाधिकारी, झाझा द्वारा दाखिल किया गया जिसमें विपक्षी द्वितीय पक्ष विशु यादव पे0 अयोधी यादव है। भरत यादव के आवेदन पत्र के आलोक में वाद संख्या 27/2017 को जमाबंदी वाद संख्या 21/2017 भरत यादव बनाम जीवलाल यादव के साथ एक साथ सुना गया।

विपक्षी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1921 में धन्नु गोप पे0 बैजु गोप के नाम से बन्दोवस्त भूमि रकबा 9.00 एकड़ खाता संख्या 49 खेसरा संख्या 514 किस प्रकार पुनः जमींदार को वापस हुई और तद्नुसार उन्हें वर्ष 1927 में बन्दोवस्त किया गया। जमाबंदी संख्या 51 में निहित खाता 49, खेसरा संख्या 514 एराजी 9 एकड़ किस वाद संख्या –आदेश के द्वारा जमाबंदी संख्या 68 में दर्ज की गयी है, इसका कोई साक्ष्य विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन पत्रांक 390 दिनांक 26.04.2018 से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी संख्या 68, जमाबंदी संख्या 356, 357 एवं 454 के पंजी–2 पर छेड़ छाड़ करते हुए खाता संख्या 48 को 49 एवं खेसरा संख्या 493 को 514 कटिंग कर दर्ज किया गया है। आवेदक द्वारा जमाबंदी संख्या 68, 356 एवं 357 तत्समय अंचल कार्यालय, झाझा से प्राप्त की गयी अभिप्रमाणित प्रति की प्रति दाखिल की गयी है। उक्त अभिप्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तीनो जमाबंदी संख्या 68, 356 एवं 357 में मूल रूप से खाता 48 एवं खेसरा संख्या 493 ही दर्ज है। इसमें किसी प्रकार की कटिंग एवं ओवरराईटिंग दर्ज नहीं है। तथ्यो से स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारी ने विपक्षी को मेल में लाकर अभिप्रमाणित प्राप्त करने की तिथि के बाद खाता 48 को 49 एवं खेसरा 493 को 514 कटिंग कर दर्ज किया गया है।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक के जमाबंदी संख्या 51 की भूमि नागी डैम में चली गयी है। साक्ष्य के रूप में विपक्षी द्वारा वर्ष 2011–12 में राजस्व विभाग द्वारा जमाबंदी पंजी का कराये गये कम्प्युटरीकरण की प्रति दाखिल की गयी है। दाखिल प्रति का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा जमाबंदी संख्या 68, 356, 357 के पंजी–2 के अभिप्रमाणित प्रति से स्पष्ट होता है कि राजस्व कर्मचारी द्वारा जमाबंदी पंजी के कम्प्युटरीकरण के पूर्व ही कर दी गयी है। आवेदक के जमाबंदी संख्या 51 से कोई रकबा नहीं घटाया गया है। ऐसी परिस्थिति में जमाबंदी संख्या 51 में छेड़ छाड़ आवेदक के संज्ञान में नहीं आने की बात स्वीकार्य योग्य है। जमाबंदी संख्या 51 की भूमि की रकबा नागी डैम में अर्जन किये जाने के संबंध में विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अतः विपक्षी का यह दावा स्वीकार्य योग्य नहीं है।

A Home Jud

उक्त तथ्यो के आलोक में जमाबंदी संख्या 68, 356, 357, 454, 456 एवं 457 को विलोपित किया जाता है। इस आदेश में विपक्षी के जमाबन्दी को साक्ष्यों के आधार पर विलोपित किया गया है। इस तथ्य से आवेदक का सन्निहित भूमि दावा का स्वीकार नही किया गया । आवेदक दावा के विरूद्ध भविष्य में अगर कोई प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होता है तो तद्नुसार कार्रवाई आपेक्षीत होगी।

आदेश की प्रति विपक्षी, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अंचल अधिकारी, झाझा को आवश्यक कार्यार्थ भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु DIO, NIC, Jamui को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

05/7/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

05/7/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 745 /रा0, दिनांक– 05/7/18

प्रंतिलिपि–विपक्षी/अंचल अधिकारी, झाझा/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रंतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/7/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।